

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.  
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 30 / 2025  
निर्णय दिनांक : 19.05.2025  
GCMS NO : 2025/74

श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु  
.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुरती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेशेकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी सालासर तहसील सुजानगढ़ का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत खाता संख्या 135 के खसरा संख्या 748 तादादी 3.5911 हैक्टेयर व खसरा संख्या 749 तादादी 4.5522 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम शोभासर(नया) तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी की जाति जाट व निवासी गुडावड़ी दर्ज है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी की वास्तविक व सही जाति ब्राहमण एवं निवासी सालासर है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम शोभासर(नया) में प्रार्थी की जाति जाट तथा निवासी गुडावड़ी दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में जाति ब्राहमण व निवासी सालासर दर्ज



उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

2  
है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति ब्राह्मण निवासी सालासर  
किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली  
पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान  
प्रमाण-पत्र आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की सही तथा वास्तविक जाति  
ब्राह्मण निवासी सालासर ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न  
दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण  
स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी  
तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि का खेत खाता  
संख्या 135 के खसरा संख्या 748 तादादी 3.5911 हैक्टेयर व खसरा संख्या 749 तादादी  
4.5522 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम शोभासर(नया) तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज  
श्यामसुन्दर पुत्र चम्पादेवी पुत्री कनिराम जाति जाट निवासी गुडावड़ी खातेदार के रथान  
पर श्यामसुन्दर पुत्र चम्पादेवी पुत्री कनिराम जाति ब्राह्मण निवासी सालासर खातेदार दर्ज  
किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार  
सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं  
हस्ताक्षरित किया गया।



उपसुब्बा अधिकारी  
उपसुब्बा अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)